प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

१ प्रधामनंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सावधि जीवन बीमा पॉलिसी है| इसका सालाना आधार पर या लम्बी अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है| पॉलिसीधारक की मौत होने पर उसे २ लाख रु. की जीवन बीमा राशि प्राप्त होगी|

२ किन व्यक्तियों के लिए है?

इस बीमा योजना में १८ वर्ष से ५० वर्ष तक की आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं| इसके लिए सम्बंधित व्यक्ति का बैंक में खाता होना अनिवार्य है| जो लोग यह पॉलिसी ५० वर्ष की आयु के पहले लेते हैं, उन्हें बीमा कवर ५५ वर्ष की आयु तक मिलेगा| हालांकि उन्हें यह लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा|

३ प्रीमियम

पॉलिसी धारक को सालाना ३३० रु. प्रीमियम का भुगतान करना होगा यह राशि हर साल उनके बैंक खाते से एकमुश्त काट ली जाएगी|

४ २ लाख रु. का बीमा

प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में जोखिम का कवरेज २ लाख रु. है| पॉलिसी एक साल से ज्यादा अवधि के ली गई है, उतने साल तक हर साल सम्बंधित बैंक खाते से पैसा काट लिया जाएगा|

५ पंजीयन की विधि

कोई भी व्यक्ति इस योजना में पंजीयन करना चाहता है तो उसे स्वास्थ्य का स्वप्रमाणन जमा कराना होगा और प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा| यदि कोई व्यक्ति पहले वर्ष के बाद भी इस योजना में बने रहना चाहता है तो उसे इस साल ३१ मई तक बैंक खाते से पैसे काटने की सहमति देना होगी| यदि कोई व्यक्ति शुरू से इस योजना से नहीं जुडा है तो वह आगे चलकर भी इसमें पंजीयन करा सकता है| यह विधि उन लोगों पर भी लागू होगी जिन्होंने पॉलिसी लेने के बाद बीच में छोड़ दी और दोबारा शुरू करना चाहते हैं|

६ पॉलिसी कब खत्म कर दी जाएगी?

- पॉलिसीधारक की आयु ५५ वर्ष पूरी होने पर पॉलिसी खत्म हो जाएगी| हालांकि, इसे चालू रखने के लिए पॉलिसीधारक को हर वर्ष इसका नवीनीकरण करना होगा|
- यदि खाताधारक के खाते में ३३० रु. का बैलेंस भी नहीं है, जहाँ से पॉलिसी ले रखी है तो बीमा पॉलिसी खत्म हो जाएगी|
- यदि कोई व्यक्ति जाने-अनजाने में एक से ज्यादा पॉलिसी ले लेता है तो भी वह इस योजना के अंतर्गत एक पॉलिसी पर ही claim ले सकेगा और इसके द्वारा अन्य पॉलिसियों पर दी गई प्रीमियम जब्त हो जाएगी| यानी ऐसी दशा में उसका बीमा दावा २ लाख रु. तक सीमित रहेगा|

७ अन्य जानकारियाँ :

योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री न. १८०० ११० ००१ या १८०० १८० ११११ है| आवेदन फॉर्म को http://www.jansuraksha.gov.in/Forms.aspx से भी डाउनलोड किया जा सकता है|

Disclaimer : यह जानकारी www.hindimapsofindia.com तथा अन्य स्रोतों से समेकित की गई है| इसका उद्देश्य सामान्य जन को इस योजना की जानकारी प्रदान करना है| विस्तृत जानकारी उपरोक्त वर्णित टोल फ्री न. से प्राप्त की जा सकती है| किसी भी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास के लिए गोयल चैरिटीज एसोसिएशन उत्तरदायी नहीं है|